

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

जहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुआ है

18/4/16

पत्रावली पेश। वकील पदपत्रावली उपस्थित है। पत्रावली वास्तु आवेदन नम्बरी दिनांक 06/4/16 को पेश है।

राजस्व लोक अदालत / कोर्ट केम्प स्थान हीरियाखेडी दिनांक 12/6/16

पत्रावली जज लोक अदालत के अन्तर्गत रहने पर पत्रावली पत्रावली के अन्तर्गत पत्रावली को पुनः उपस्थित करार समय तक को पुनः दिनांक 12/9/2016 को पेश है।

14/9/16

पत्रावली पेश हुई / अधिवक्तागण द्वारा कार्य स्थगित रखा / P.O. सा. नगर / अवकाश में। पत्रावली वास्तु दिनांक 24/10/16 को पेश हो।

24/10/16

पत्रावली पेश। वकील पदपत्रावली उपस्थित है। पत्रावली वास्तु आवेदन नम्बरी दिनांक 5/12/16 को पेश है।

5/12/16

पत्रावली पेश हुई / अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा / P.O. सा. मीटिंग / नगर / अवकाश में। पत्रावली वास्तु दिनांक 27/2/16 को पेश हो।

27/2/17

पत्रावली पेश। वकील पदपत्रावली उपस्थित है। पत्रावली वास्तु आवेदन नम्बरी दिनांक 27/2/17 को पेश है।

राजस्व लोक अदालत  
श्याम बापके द्वारा अधिवक्ता  
केम्प हीरियाखेडी

31.5.17

पत्रावली आठ शब्दों में लोक अदालत केम्प हीरियाखेडी पर पेश हुई। वादी उपर ही वादी एवं फिलोकार लकार की सुना गया जहाँ



पत्रावली अधिवक्ता

वादी का कथन है कि उसका वादगाह श्मि  
पर विगत लम्बे समय से खरबा है,  
अतः उस उक्त श्मि का खालेदार बंधित  
किमा नाले वती 'पेटोकाट साफाट' का  
कथन है कि वादी की धारा 91 L.R. Act  
की शर्तवाही कर लेदाकत किमा जाता  
रहा है श्मि राजकीय खाली की है,  
जिस पर कब्जा कर लेने सक्त है  
खालेदारी अधिकार हासिल वती 'लेल'  
इस प्रकार उक्त के राजकीय अकारित  
होती है।

वादी का अन्य कथन है कि उक्त  
द्वारा जुमाना, व सभी भलाखला जमा  
कवाया जा रहा है अतः खालेदारी की  
जारी।

उक्त का अधोकार किमा गया  
उक्त के वादगाह श्मि ग्राम चारिमाकेकी  
श. नं. 136 किस्म चापगाह पर वादी  
द्वारा अतिरिक्त कार्य पर पर धारा 91  
L.R. Act की शर्तवाही की जा रही है  
तथा वकील शम्बी वसूल की जा  
रही है।

उक्त वरिष्ठ श्मि राजकीय  
है तथा चापगाह श्मि है उक्त  
श्मि राजस्व काश्तकारी अधिकार  
1955 की धारा 16 के तथा वरिष्ठ  
पुलिवेधित श्मि है, जिस पर किसी  
की भी खालेदारी अधिकार धारा  
मही लेती है।

उपखण्ड अधिकारी  
(P.O.)

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर या तारीख  
अहकाम जो हुकम  
की तारीख में जारी हुए

इस प्रकार सुस्थापित विधि-क  
 आवधानों के प्रीपेकम में वादी का  
 वादागत भूमि पर खालेदारी खलव  
 लाता नहीं है लकटी अलियाह की  
 लम्बी अवधि तथा अलियाह के  
 प्रीनाम ल्य रूप मुकवान किम गम  
 पुमाने से यह खलव नहीं किम  
 जो लकटी अलियारी सामान्यतः  
 इस प्रकार के अत्रुतोष का हकदार नहीं  
 है इस प्रकार अत्रुतोष अलियाह  
 का बढावा देना जैसा होगा

अतः दाया वादी इसी धर  
 पर खालीज किया जाता है  
 लदनुसाह डिही जारी है।  
 विनियम आठ को अदाकर  
 में सुनाया गया।



नियन्त्री न्यायालय  
 I.A.S.

4

Judicial  
 Part-IV

# डिकरी बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)  
 (Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम राठमण्डी केम्प हीरियावेडी  
 ब इजलास चिन्मयी गोपाल (2.A.D.)  
 राधाकिसन बनाम सलकार

दावा बाबत... 88-188 R.P.A.C.T

मुकदमा नं. 89 सन 2013  
 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु-ब-रु चिन्मयी गोपाल (2.A.D.)  
 ब हाजरी वादी मिनजानिब मुद्ई व पेटेनार सलकार  
 मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुकम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि


दावा वादी इसी स्वर पर खाराज किया जाता है

नीज मुबलिया बाबत  
 खर्चा इस मुकदमे का मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख  
 में तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें।  
 बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31 माह 05 2017  
 को जारी की गई।

दस्तखत  
 उपखण्ड अधिकारी  
 चिन्मयी गोपाल

मुहर

मुद्ई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया
स्टाम्प अर्जीदावा	....		स्टाम्प वकालतनामा	....
स्टाम्प वकालतनामा	....		स्टाम्प अर्जी	....
स्टाम्प वजह सबूत	....		महनताना वकील	....
महनताना वकील	....		खर्चा गवाहान	....
खर्चा गवाहान	....		फीस कमिश्नर	....
फीस कमिश्नर	....		बाबत इजराय हुकमनामा	....
बाबत इजराय हुकमनामा	....		मुतफर्रिक	....
मुतफर्रिक	....			....
मीजान	....		मीजान	....



नोट: इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।